राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	438/2020 रामचन्द्र / बाबूलाल 437/2020 रामचन्द्र / जगदीश	
04/1/21	आज यह पत्रावलीयां वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद संख्या 56/2020 वादी रामचन्द्र के द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07/09/2020 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गयी, जिसके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 का मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 1 बाबूलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09/09/2020 को उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07/09/2020 की क्रियान्विति स्थगित कर दी गयी जिसके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत हुई। इस सन्दर्भ में इस न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री के आदेश दिनांक 01/07/2020 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 के प्रस्तुतकर्ता बाबूलाल स्वयं उपस्थित रहे है, तब उन्ही के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस प्रकार संधारणीय हो सकता है, इस बिन्दु पर विवेचन किये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07/09/2020 के स्थगन का आदेश एकपक्षीय पारित किया जाना इस स्तर पर उचित प्रतीत नही होता है। इसी प्रकार मूल वाद संख्या 56/2020 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णित किये जाने के पश्चात पुनः उन्ही आराजीयात एवं उन्ही पक्षकारो के मध्य पूर्व वाद के प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा पुनः एक नया वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर क्या नया वाद धारा 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत नही है, के बिन्दु पर विचार किये बगैर जो नये वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा पर दिनांक 09/09/2020 को नये सिरे से अपीलान्ट्स के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया है, स्पष्ट रूप से अनुचित आदेश होने से निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 में दिनांक राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	438/2020 रामचन्द्र / बाबुलाल 437/2020 रामचन्द्र / जगदीश	
	09/09/2020 को पारित आदेश एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 175/2020 में दिनांक 09/09/2020 को पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते की उपरोक्त विवेचन में उठाये गये बिन्दुओ पर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर उनका निस्तारण करते हुये पुन: आदेश पारित करे। तदनुसार दोनों अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18/01/2021 को उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 04/01/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	